01. छाजूराम दत्तक पुत्र महादेव,
02. नाथू पुत्र गंगाराम,
03. देवाराम दत्तक पुत्र गंगाराम, जाति जाट निवासी ग्राम पंवालिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

01. चौंथी देवी पत्नी सुन्दरलाल, जाति जाट निवासी ग्राम मांग्यावास, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

—— रेस्पोडेन्ट

02. सुरज्ञानी देवी पत्नी भंवरलाल चौपड़ा,
03. विमला देवी पत्नी रामेश्वर चौपड़ा,
04. आशा चौपड़ा पत्नी गोरधन चौपड़ा,
05. पुष्पा चौपड़ा पत्नी सुनील चौपड़ा,
06. लाली चौपड़ा पत्नी राधेश्याम चौपड़ा
07. भूली पत्नी रामस्वरूप चौपड़ा, समस्त जाति जाट निवासी चौपड़ा फार्मस, ग्राम गणपतपुरा चक नम्बर 1, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
08. म्होरी देवी पत्नी स्व. छीतरमल चौपड़ा, जाति जाट निवासी ग्राम गणपतपुरा चक नम्बर 1, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
09. राजस्थान लैण्ड डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड, कार्यालय 69/4, न्यू सांगानेर रोड़, मानसरोवर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
10. सुरेन्द्र कुमार महोलिया पुत्र जैतराम महोलिया, जाति रैगर, निवासी रविदास कॉलोनी नींदड़ मोड़, हरमाड़ा, तहसील व जिला जयपुर।
11. रामकरण पुत्र भौला, जाति बैरवा, निवासी ग्राम पंवालिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
12. काल्या पुत्र नारायण, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम पंवालिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
13. प्रियदर्शनी पॉली सेकस लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय एफ/41 प्रथम तल ट्रेड सेंटर, स्टेशन रोड़, कोल्हापुर महाराष्ट्र।
14. निर्मला देवी पत्नी गोविन्दशरण कोटिया, जाति धेबी, निवासी राधाबल्लभ मार्ग सांगानेर जिला जयपुर।
15. रेखा कोटया पत्नी अजय कोटिया, जाति धोबी निवासी राधाबल्लभ मार्ग सांगानेर जिला जयपुर।
16. राजू बैरवा पुत्र नारायण बैरवा, जाति बैरवा निवासी ग्राम पंवालिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
17. धापू देवी पत्नी स्व. पांचूराम, जाति बैरवा निवासी ग्राम पंवालिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर (फौत)
    17/1. रामनारायण पुत्र स्व. पॉचू जाति बैरवा निवासी पंवालिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
18. प्रभात्या पुत्र मांग्या जाति बैरवा निवासी ग्राम पंवालिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर। (फौत)
    18/1. रामकरण पुत्र प्रभात्या जाति बैरवा निवासी पंवालिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

18/2. श्रवण पुत्र स्व. प्रभात्या जाति बैरवा निवासी पंवालिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

18/3. गिरधारी पुत्र स्व. प्रभात्या जाति बैरवा निवासी पंवालिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

18/4. रामप्रसाद पुत्र स्व. प्रभात्या जाति बैरवा निवासी पंवालिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

19. नन्दाराम पुत्र कल्याण उर्फ काना, जाति बैरवा निवासी ग्राम पंवालिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

20. सीताराम पुत्र कल्याण उर्फ काना जाति बैरवा निवासी ग्राम पंवालिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

21. कमला देवी पत्नी नाथू जाति बैरवा निवासी ग्राम पंवालिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

22. नानगराम पुत्र नाथू जाति बैरवा निवासी ग्राम पंवालिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर। (मृतक दौराने अपील)

22/21. पिंकी पत्नी स्व. रामप्रसाद जाति बैरवा निवासी पंवालिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

22/2. आदित्य पुत्र स्व. रामप्रसाद नाबालिंग जरिये प्राकृतिक माता सरंक्षिका पिंकी पत्नी स्व. रामप्रसाद जाति बैरवा निवासी पंवालिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

23. छीतर पुत्र मंगल्या जाति बैरवा निवासी ग्राम पंवालिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

24. सुनील कुमार चावला पुत्र सूरजमल चावला जाति खटीक प्लॉट संख्या 181, गिर्राज नगर विजय पथ के सामने इस्कॉन रोड़, ग्राम धौलाई तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

——प्रत्यर्थीगण

उपस्थितिः—

1. **श्री भगवान सहाय शर्मा अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से**
2. **श्री रामजीलाल चौधरी एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 18.10.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.06.2018 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण संख्या 2 लगायत 24 के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष धारा 111 सहपठित धारा 128 भू राजस्व अधिनियम को प्रस्तुत कर सीमाज्ञान व पत्थगरढी करवाने का निवेदन किया जिसमें अपीलार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर विरोध किया कि अपीलार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1482, 1483, व 1484 स्थित ग्राम पंवालिया का रकबा कम कर उक्त विवादग्रस्त भूमि में बढ़ाकर प्रत्यर्थी संख्या 1 के

हकपूर्वाधिकारी के नाम दर्ज कर दी गई जो वर्तमान में प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम से ही अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि वादग्रस्त के सम्बन्ध में अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर के समक्ष ही एक वाद बाबत घोषणा रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर रखा है। अन्त में अपीलार्थीगण ने प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब व बहस पर गौर न कर मनमानापूर्ण विधि विरूद्ध एवं न्याय के सिद्धान्तों के विपरित जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.06.2018 पारित किया है जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि पर प्रत्यर्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त नही है, उक्त भूमि के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर में अपीलार्थीगण का वाद संख्या 49/2014 में विवादित भूमि के सम्बन्ध में ताफैसला वाद मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये आदेश जारी है। उक्त आदेश के प्रभावी रहते हुये विवादित भूमि में स्थाई सीमाचिन्ह कायम किया जाना संभव नही है। उन्होने आगे कथन किया है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 1481 रकबा 0.89 हैक्टयर पर अपीलार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त है, अपीलाधीन आदेश के समय अपीलार्थीगण ने उक्त खसरा नम्बर की भूमि पर बाजरें की फसल बो रखी थी जिसकी सुरक्षा के लिये चारो ओर पुख्ता तारबन्दी अपीलार्थीगण ने कर रखी है। विवादित भूमि पर अपीलार्थीगण का कब्जा होने के तथ्य अपीलार्थीगण ने अपने जवाब में अंकित किये फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जे के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट व आस–पास के खातेदारों के बयान न लेकर मनामनापूर्ण आदेश पारित किया है जो विधि विधान के विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.06.2018 निरस्त करने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यां को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1481 के पूर्व दिशा व उत्तर दिशा की सीमा के पश्चात् अपीलार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1482 व 1483 स्थित है तथा अन्य रेस्पोडेन्ट की आराजी स्थित है। उन्होने कथन किया है कि दिनांक 11.05.2013 को रेस्पोडेन्ट की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की विवादित कृषि भूमि की चतुर्थ सीमाओं पर विधिवत परिनिर्मित स्थाई सीमाचिन्ह स्थापित किये बिना ही अपीलार्थीगण जबरिया मनमाने एवं गैर–कानूनी तौर तरीके से रेस्पोडेन्ट की खातेदारी की सीमा पर पुख्ता निमार्ण कार्य इत्यादि करने पर आमादा है तथा दिनांक 13.05.2013 को रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थीगण को विवादित सीमाओं पर निमार्ण इत्यादि कार्य करने से पूर्व विधिवत स्थाई सीमाचिन्ह कायम करवाने के लिऐ अनुरोध किया तो अपीलार्थीगण ने स्थाई सीमाचिन्ह विर्निमित करवाने से स्पष्ट इन्कार कर दिया और कहा कि हम किसी प्रकार के स्थाई सीमाचिन्ह स्थापित नही करवायेंगे और अपीलार्थीगण जबरिया गैर कानूनी तौर तरीके से रेस्पोडेनट संख्या 1 की विवादित कृषि भूमि की सीमाओं पर निमार्ण कार्य करने पर आमादा थे जिससे वादकारण उत्पन्न हुआ है और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी आराजी की सुरक्षा हेतु पत्थरगढी हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना

संभागीय आयुक्त
जयपुर

पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान को सुनवाई के पश्चात ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.06.2018 पारित किया है जो विधि सम्मत है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि प्रत्येक काश्तकार को अपनी आराजी की एवं अपनी फसल की सुरक्षार्थ उसका सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने के कानूनन अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं भू राजस्व अधिनियम मे प्रदत्त किया गये है जिसके तहत ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने कर पक्षकारान को सनवाई का अवसर देने के पश्चात् ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.06.2018 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाब में भूमि वादग्रस्त बाबत एक दावा बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होना एवं जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 04.07.2014 नियत होना अंकित किया है तो ऐसी स्थिति अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दावें के सम्बन्ध में भी उभयपक्षकारान से दस्तावेजात लेकर उनका परीक्षण करने के उपरान्त ही आदेश पारित किया जाना चाहिये था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.06.2018 पारित किया है जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,जयपुर द्वितीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.06.2018 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।